

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल्गुन शुद्धी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

उ. सं. क्र. कमांक 740 दिनांक 23/10/2020

श्री सीमा शीमा सोनी s/o श्री रमेश सोनी

न. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 26790/- जमा

जारीये रसीद संख्या 9062/326, 329

दिनांक 23/10/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 120 ग्राम चौपालकी जमीन

खसरा संख्या 203/136 "कृष्णा नगर योजना"

दिनांक 23/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

Seema
Seema Soni s/o Seema Soni
Mob: 7665544234